**राजस्थान सरकार**
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**
**वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ जयपुर–302005**
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309 ई–मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in)

---

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/विविध/अलेसे–III/921 दिनांकः– 26-02-2026

## आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9738/2025 युगल किशोर मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। याचिकार्थी द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में विभागीय पदस्थापन आदेश दिनांक 06.04.2025 में गृह जिले से अन्य जिले में पदस्थापन किये जाने के विरूद्व याचिका दायर की गयी थी।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार से प्रदत्त निर्देशानुसार कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में पदस्थापन के दौरान महिलाओं एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए एवं शेष कार्मिकों का समुचित प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत विभिन्न जिलों में पदस्थापन किया गया हैं। दौसा जिले में कनिष्ठ लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के लगभग 89 पद रिक्त है जबकि लगभग 242 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। दौसा जिले के लगभग 125 अभ्यर्थियों का कोटा एवं लगभग 28 अभ्यर्थियों का झालावाड में पदस्थापन किया गया है। अतः प्रशासनिक व्यवस्था को कार्यकुशल बनाये रखने हेतु एवं विभिन्न कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन किये जाने हेतु कोटा तथा झालावाड जिला स्थित कार्यालयों में भी रिक्त पदों पर कार्मिकों का तदनुरूप ही पदस्थापन किया गया है।

दौसा जिले के अतिरिक्त अन्य जिले यथा चुरू, झुन्झुनू, जयपुर, नागौर, डीडवाना–कुचामन, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, हनुमानगढ़, कोटपूतली–बहरोड़ आदि में भी रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थियों का चयन होने पर अन्य जिलों में रिक्त पदों पर प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं राजकार्य में कुशलता सुनिश्चित रखने एवं कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन किए जाने हेतु पदस्थापन किया गया है।

इस प्रकार प्रशासनिक आवश्यकता एवं कार्य कुशलता के मददेनजर राज्य हित में ही श्री युगल किशोर मीणा का पदस्थापन किया गया है।

अतः याचिकार्थी श्री युगल किशोर मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

25/2/2026

(संध्या शर्मा)
**निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव**

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/विविध/अलेसे–III/921 दिनांकः– 26-02-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. ~~सम्बन्धित याचिकार्थी सर्वश्री~~.......................................................।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)